न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
46 / 2025	27.03.2025	13.02.2026

पीठासीन अधिकारी– श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– प्रिया कुमारी पुत्री किशन कुमार जी पौत्री बंशीलाल जाति मेघवाल निवासी मेदपुरा गोहल्ला सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा।

प्रार्थी(वादी)

बनाम

1– सुखविन्दर सिंह आत्मज हरवंश सिंह
2– बलवीरकौर बेवा सुखविन्दर सिंह जाति जट सिक्ख निवासीगण सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा
3– अखलेश मिश्रा आत्मज शिवचन्द्र मिश्रा
4– आलोक मिश्रा आत्मज शिवचन्द्र मिश्रा
5– आशुतोष मिश्रा आत्मज शिवचन्द्र मिश्रा निवासीगण मकान नं0 19 शक्ति नगर दादाबाड़ी कोटा
6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा।

अप्रार्थीगण(प्रतिवादी)

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 धारा 11 सीपीसी व धारा 151 जा0 दीवानी</u>

निर्णय

प्रार्थीगण (प्रतिवादी नं0 1 ता 5) की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 धारा 11 सीपीसी बाबत निम्न निवेदन करता है:–

1– यह कि उपरोक्त शीर्षक का दावा माननीय न्यायालय में जेरकार है जिसमें आज तारीख पेशी नियत है।

2– यह कि वादनी द्वारा यह वाद उसके दादा श्री बंशीलाल जी के खाते की भूमियां जो भूप्रबंध विभाग द्वारा गलत रूप से हरबंश सिंह के खाते दर्ज करने के कारण उसे हटाकर स्वयं के खाते दर्ज करने का वाद पेश किया गया है।

3– यह कि बंशीलाल जी की मृत्यु हो चुकी है और बंशीलाल जी के तीन पुत्र व 6 पुत्रियां वारिशान के रूप में मौजूद है।

4– यह कि प्रिया कुमारी वादिनी के पिता किशन कुमार जीवित है, जिन्होनें एक वाद प्रतिवादी नं0 1 व 2 के विरूद्व विवादित भूमि से संबंधित पेश किया गया था जो दिनांक 12.02.2025 को विड्रो के आधार पर खारीज किया जा चुका है।

5– यह कि वादनी को वाद उसके पिता के जीवनकाल में लाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मौजूदा प्रकरण में मृतक बंशीलाल के वारिसान की ओर से ही वाद पेश किया जा सकता है। वादिनी को वाद लाने हेतु कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। इस कारण वादनी का वाद निरस्त होने काबिल है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद खारीज फरमाया जावें।

प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शा0फाईल किया जाकर नकल अप्रार्थी (वादिया) को दिलवाई गयी।

अप्रार्थी (वादीया) की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का निम्नानुसार प्रस्तुत किया गयाः–

1– यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है।

2– यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 स्वीकार है।

3– यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 स्वीकार है विवादित भूमि पारिवारिक विभाजन में प्रार्थीनी के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

4– यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 में वादनी के पिता जीवित होना स्वीकार है। शेष मद जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है।

5– यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 जिस प्रकार लिखी गयी है स्वीकार नहीं है। विवादित भूमि पुश्तैनी भूमि है तथा विवादित भूमि पारिवारिक विभाजन में वादनी प्रार्थीनी को प्राप्त हुई है। वादनी के पिता वादनी से अलग निवास करते है। इस कारण वादनी प्रार्थीनी को अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु वाद पेश करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वादनी को सही रूप से वाद कारण पैदा हुआ है जिसका अंकन वाद पत्र में किया गया है। वाद चलने योग्य है। प्रार्थना स्वीकार नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल्स 11 सीपीसी को बहस पर नियत किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस में प्रार्थीगण (अप्रार्थी क्रम 1 ता 5) अधि0 द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा अप्रार्थी (वादिया) अधि0 ने अपने प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस में प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रकरण में प्रिया कुमारी को 88, 89, 188 का दावा लाने का अधिकार नहीं है प्रिया कुमारी के पिता पांच भाई है सबको पार्टी बनाना चाहिए था। किन्तु नहीं बनाये है। प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने उक्त भूमि प्रतिवादी नं0 3 ता 5 को बेचान कर दी।

बहस पर मनन किया गया। प्रकरण के अद्योपान्त अवलोकन विवेचन तथा अनुशीलन के उपरान्त हम पाते है कि वादिनी को वाद पेश करने का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है तथा वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है। अतः कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से न्यायहित में प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः संविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के प्रावधानानुसार प्रस्तुत वाद का वद कारण उत्पन्न न होने तथा वाद के विधि द्वारा वर्जित होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 को स्वीकार किया जाकर वादिया का वाद खारीज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पारित पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय की प्रति सम्बन्धित पत्रावली मिसल नं0 46/2025 में संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी – श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– प्रिया कुमारी पुत्री किशन कुमार जी पौत्री बंशीलाल जाति मेघवाल निवासी मेदपुरा मोहल्ला सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा।

प्रार्थी(वादी)

बनाम

1– सुखविन्दर सिंह आत्मज हरवंश सिंह
2– बलवीरकौर बेवा सुखविन्दर सिंह जाति जट सिक्ख निवासीगण सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा
3– अखलेश मिश्रा आत्मज शिवचन्द्र मिश्रा
4– आलोक मिश्रा आत्मज शिवचन्द्र मिश्रा
5– आशुतोष मिश्रा आत्मज शिवचन्द्र मिश्रा निवासीगण मकान नं0 19 शक्ति नगर दादाबाड़ी कोटा
6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा।

अप्रार्थीगण(प्रतिवादी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 धारा 11 सीपीसी व धारा 151 जा0 दीवानी

मिसल नम्बर 46/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ श्री दीपक महावर आर.ए.एस बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि संविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के प्रावधानानुसार प्रस्तुत वाद का वाद कारण उत्पन्न न होने तथा वाद के विधि द्वारा वर्जित होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 को स्वीकार किया जाकर वादिया का वाद खारीज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 13.02.2026 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनाम	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0